कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 3814 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 5-5-2018.

सेवा में,

प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0,
रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर,
10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–पी 146/14–2–17–800(161)/2018 दिनांक–23.04.2018

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1528/11–सी/एफपी/यू0पी0/अदर्स/24318/2017 दिनांक–23.11.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–पी 146/14–2–17–800(161)/2018 दिनांक–23.04.2018 द्वारा निम्न प्रमाण पत्र उपलब्ध करानें का निर्देश दिया गया हैः–

''प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमीयम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमीयम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जायेगा।''

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित सूचना/प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या 3814 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/c

F:\New Folder\AM-3.Docx